प्रधान महालेखाकार (ले०&ह०) का कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार - 800001

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

परिपत्र संख्या: Admn-I/A&E/Comp No. E-419034/ C-117

दिनांक: 14/09/2026

## कार्यालय परिपत्र

**विषय:** वर्ष 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा e-HRMS पोर्टल पर ससमय पेंशन प्रपत्र (**Form-6A**) ऑनलाइन भरे जाने के संबंध में।

इस कार्यालय के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचित किया जाता है जो वर्ष 2027 में वार्ध्यक्य (Superannuation) आयु प्राप्त करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले हैं (सूची कार्यालय आदेश संख्या **का० आ० / Office Order No. Admn-I/(A&E)/Retirement/2026-27/Comp. No.419034/C** 116 दिनांक - 14/09/26 द्वारा निर्गत की जा चुकी है), कि वे अपने पेंशन मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन करें:

1. **e-HRMS 2.0 पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन:** भारत सरकार और मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के आलोक में, अब पेंशन प्रपत्रों को भौतिक (Physical) रूप से भरने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। सभी संबंधित कर्मी अपने **e-HRMS** लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग कर **पेंशन प्रपत्र (Form-6A)** को ऑनलाइन अनिवार्य रूप से भरेंगे।

2. **समय-सीमा (Timeline):** पेंशन नियमों के अनुसार, सेवानिवृत्ति की तिथि से **06 माह पूर्व** पेंशन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन प्रारंभ हो जानी चाहिए। सूची में अंकित सभी कर्मी अपनी सेवानिवृत्ति तिथि से कम से कम 06 महीने पहले e-HRMS पोर्टल पर **Form-6A** को त्रुटिरहित भरकर जमा (Submit) करना सुनिश्चित करें।

3. **आवश्यक विवरण एवं दस्तावेज:** ऑनलाइन फॉर्म भरते समय निम्नलिखित विवरणों को सावधानीपूर्वक अद्यतन (Update) करें:
   - सेवा पुस्तिका (Service Book) के अनुसार नाम, जन्म तिथि और सेवा में योगदान की तिथि।
   - वर्तमान पासपोर्ट साइज फोटो (पारिवारिक पेंशनभोगी के साथ संयुक्त फोटो, यदि लागू हो)।
   - वैध बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और बैंक शाखा का विवरण (पेंशनभोगी का एकल या संयुक्त खाता)।
   - नामांकित व्यक्ति (Nominee) का विवरण (ग्रेच्युटी, पेंशन कम्यूटेशन और पारिवारिक पेंशन हेतु)।
   - पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card) और आवासीय पते का अद्यतन विवरण।

4. **प्रशासनिक सहयोग एवं जांच:** e-HRMS पर **Form-6A** ऑनलाइन सबमिट करने के पश्चात, उसकी एक हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी (प्रिंट-आउट) आवश्यक सह-पत्रों के साथ **प्रशासन-१** अनुभाग को सत्यापन हेतु तत्काल उपलब्ध कराएं, ताकि सेवा सत्यापन (Service Verification) और नो-ड्यूज (No Dues) की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।

ससमय पेंशन प्रपत्र (Form-6A) न भरने की स्थिति में यदि पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी होने में कोई विलंब होता है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की होगी।

इसे अत्यंत महत्वपूर्ण और समय-बद्ध (Time-bound) समझा जाए।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्र०-1)

**प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:**

1. प्र० महालेखाकार (ले० एवं हक०) सचिवालय।
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं जी०ई०) सचिवालय।
3. उप महालेखाकार (लेखा, वी०एल०सी० एवं कार्य) सचिवालय।
4. वरिष्ठ उप महालेखाकार (पेंशन एवं निधि) सचिवालय।
5. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ( सूची के अनुसार)।
6. आई० टी० एस० (ITS) अनुभाग - इस अनुरोध के साथ कि इसे कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट और e-HRMS सूचना पट्ट पर अपलोड करें।
7. सूचना पट्ट (Notice Board)।

Digitally signed by
Deepak Kumar
Date: 11-09-2026
13:21:32

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्र०-1)

Phone: 0612-2225634 Fax: 0612-2221056 Email: agaebihar@cag.gov.in